भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1592
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: धान के अवशेषों के प्रबंधन हेतु सहायता
1592. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि
(क) क्या सरकार का किसानों द्वारा पराली जलाने को हतोत्साहित करने के लिए धान के अवशेषों के संग्रहण और सुरक्षित निपटान हेतु धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ व्यय के आधार पर सहायता प्रदान करने हेतु एक योजना तैयार करने का विचार है;
(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है, तथा प्रति एकड़ वित्तीय सहायता की राशि और इस सहायता को किसानों को सीधे तौर पर पहुंचाने के लिए तरीका क्या है;
(ग) क्या मंत्रालय ने प्रति एकड़ अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों द्वारा वहन की गई लागत का आकलन किया है और यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;
(घ) क्या सरकार इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और पर्यावरण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस सहायता को मौजूदा फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी योजनाओं के साथ एकीकृत करने पर विचार करेगी; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेष प्रबंधन (सी.आर.एम.) योजना कार्यान्वित की जा रही । सी.आर.एम. योजना के अंतर्गत दिनांक 30.06.2025 तक 3951.16 करोड़ रुपये का केंद्रीय फंड जारी किया जा चुका है। राज्यों ने किसानों को 3.24 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें प्रदान की हैं। राज्यों ने किसानों को बाजार कीमतों से कम पर किराये के आधार पर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उपकरण और मशीनें उपलब्ध कराने के इरादे से 80% सब्सिडी के साथ फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के 42,000 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी स्थापित किए हैं।

फसल अवशेष प्रबंधन (सी.आर.एम.) योजना के अंतर्गत पहले से ही प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता के अतिरिक्त धान के अवशेषों के संग्रहण और सुरक्षित निपटान के लिए धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ व्यय सहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

इस योजना के तहत, धान की पराली के एक्स-सीटू मैनेजमेंट को भी बढ़ावा दिया जाता है, जिसके तहत धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य बायो-सी.एन.जी./सी.बी.जी., बायो-इथेनॉल या बायोमास आधारित बिजली उत्पादन आदि की पूर्व-चिह्नित एक्स-सीटू बेस्ड स्माल-मीडियम-लार्ज स्केल की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बायोमास आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इन औद्योगिक परियोजनाओं को धान की पराली की बिक्री से किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है।

सुपर सीडर, इन-सीटू मैनेजमेंट के लिए सबसे पसंदीदा मशीन है, उसके बाद हैप्पी सीडर और स्मार्ट सीडर का स्थान आता है। इन मशीनों का उपयोग, बिना पराली जलाए या हटाए, सीधे कटाई वाले धान के खेतों में गेहूँ की बुवाई के लिए किया जाता है। सुपर/हैप्पी/स्मार्ट सीडर का औसत किराया गेहूँ की बुवाई के लिए लगभग 2500 रुपये प्रति एकड़ है, जो धान की पराली जलाने के बाद अन्य तरीकों से गेहूँ की बुवाई की लागत के लगभग बराबर है। इन मशीनों के उपयोग से इन-सीटू अवशेष प्रबंधन के समग्र लाभों में मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि और उर्वरकों के कम उपयोग के कारण बचत भी शामिल है।

सी.आर.एम. योजना के तहत की गई पहलों के माध्यम से धान की पराली जलाने में कमी लाने का समग्र उद्देश्य साकार हो रहा है, जैसा कि कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रोइकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम स्पेस (सीआरईएएमएस) लैबोरेट्री, कृषि भौतिकी विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों से स्पष्ट है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में वर्ष 2018 के दौरान 15 सितंबर से 30 नवंबर के बीच धान की पराली जलाने की 75,514 घटनाएँ हुईं, जबकि वर्ष 2024 के दौरान इसी अवधि में घटकर 18,457 रह गईं जो 75.5 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है।

*****